XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. नि.-1228/II/14 जिला [illegible]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-6-15	अनावेदक अभिभाषक श्री कुंवर सिंह कुशवाह उपस्थित। आवेदक सूचना की तामील रिपोर्ट अप्राप्त। पे.दि. 19-6-15 (अध्यक्ष)	19/6/15 [signature]
19-6-15	अनावेदक अभिभाषक श्री कुंवर सिंह कुशवाह उपस्थित। आवेदक सूचना की तामील रिपोर्ट अप्राप्त। पे.दि. 4-9-15 (सदस्य)	4-9-15 [signature]
4-9-15	आवेदक अभिभाषक सूचना उपरान्त उपस्थित नहीं। आवाज-दिवाज पर तीन बार आवाज लगवाई गई। लेकिन आवेदक पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं। फलतः आवेदक अभि. की अनुपस्थिति के आधार-पैरवी में खारिज किया जाता है। फलतः दाखिल रिकार्ड हो। (सदस्य)	

[कृ. प. उ.

पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2014 श्योपुर R/1228-I/14

1228-I/14
श्री कुँवरसिंह कुशवाह अभिभाषक
द्वारा आज दि 15-4-14 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मनजीत सिंह पुत्र कपूर सिंह सिक्ख,
निवासी- ग्राम अजापुरा, तहसील व
जिला-श्योपुर ...... निगरानीकर्ता

बनाम

रमेश पुत्र गोविंदा, बाबूलाल पुत्र गोविंदा
वैरवा निवासी-ग्राम अजापुरा, तहसील
व जिला श्योपुर

..... अनावेदकगण

निगरानी आवेदनपत्र धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत विरुद्ध आदेश अपर कलेक्टर श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 100/2010-11 स्व. निगरानी आदेश दिनांक 19.02. 2014 को पारित।

श्रीमान् जी,

निगरानी के आधार निम्नलिखित प्रस्तुत है :-

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान एवं क्षेत्राधिकार बाह्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड की सूक्ष्मता से अध्ययन किये बिना जो प्रकरण पंजीबद्ध किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है।
3. यह कि, मूल प्रकरण में अपर आयुक्त चम्बल के आदेश के विरुद्ध श्रीमान् जी के समक्ष प्रकरण क्रमांक 352/II/2011 श्योपुर ताराचन्द्र बनाम कन्हैयालाल गत पेशी 22-03-2011 नियत थी, की जानकारी आवेदन दिनांक 20-02-13 एवं 07-02-2014 देकर अपर कलेक्टर श्योपुर को अवगत कराया कि इस केस में वरिष्ठ न्यायालय में केस लम्बित है जब तक राजस्व मण्डल से प्रकरण का निराकरण नहीं हो जाता तब तक कार्यवाही स्थगित करने हेतु आवेदनपत्र निगरानीकर्ता के अभिभाषक ने दिनांक 20-02-13 व 07-02-14 को दिये उन आवेदनपत्रों का निराकरण किये बिना प्रकरण बहस हेतु नियत कर दिया, इस कारण भी अपर कलेक्टर श्योपुर के यहां लम्बित प्रकरण की समस्त कार्यवाही निरस्त करने की कृपा करें।
4. यह कि, निगरानी आवेदनपत्र समय सीमा में होने से स्वीकार योग्य है।
5. यह कि, शेष अन्य तथ्य तर्क के समय निवेदित किये जावेंगे।

अतः माननीय न्यायालय से विनम्र प्रार्थना है कि अपर कलेक्टर श्योपुर के यहां लम्बित प्रकरण की समस्त आदेशों की कार्यवाही समाप्त करने की कृपा करें।

दिनांक 15-04-2014

निगरानीकर्ता